

[بخشی غلام محمد]

دونوں طرف کے جو لہندرز ہوں وہ
اگر کوشش کریں تو اس میں کامیابی
مل سکتی ہے۔

اب وہی تبدیل کرنے کی بات -
تو یہ اچے مکرچی کو توہل کریں
کے اور یہ پی - سی - کھوش کو توہل
کریں گے - یہ تو چلتا ہی رہیگا -
لیکن اگر آپ کو ملک کے یہ معاملے
حل کرنے ہیں - ملک کو بچانا ہے
دیہی کو بچانا ہے - ملک کی عزت
کو بچانا ہے - ملک کی لچ کو
بچانا ہے - جس دیہی کے لئے گاندھی
اور جواہر لال مرے اور لاکھوں انسانوں
نے اپنی جان کی قربانیاں دیں ان
کا خون رائیگاں نہ ہونے پائے تو آپ
زمین پر کھڑے ہو کر ہر چہز کو
سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں -
آپ دیکھیں کہ جواہر لال جی کے
جانے کے بعد تین سالوں میں کہا
ہوا - ان کے جانے کے بعد ہمارا پلان
کہاں ہے - ہمارے انڈسٹریز کا کہاں
میں - آپ کا سیکھوئرمز اور سوشلزم کا
بیلری کہاں ہے - یہاں پر مہنت جی
نے اچھے خیالات کا اظہار کیا - ہو سکتا
ہے کہ ہندوستان میں دس دس
پچاس یا سو آدمی ایسے ہوں -
میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں -
حالات بڑے اچھے ہیں لیکن میں
کہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں ان

کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے - ہندوستان
ہندوؤں کا ملک نہیں - ہندوستان
مسلمانوں کا ملک نہیں - ہندوستان
ہندوستانیوں کا ملک ہے -

17.28 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FOURTEENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND COMMUNICA-
TIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH):
Sir, I beg to present the Fourteenth
Report of the Business Advisory Com-
mittee.

17.28½ hrs.

LOSS TO RAILWAYS DURING
LANGUAGE AGITATION*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall
now take up the half an hour discus-
sion.

श्री श्रीचन्द्र गोयल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष
महोदय, हमारे देश में रेलों का राष्ट्रीयकरण
हुए कई शताब्दी बीत गई हैं लेकिन आज तक
हम अपने देश में और देशवासियों के अन्दर
यह भावना पैदा नहीं कर पाए कि रेलों की
सम्पत्ति आज जन सम्पत्ति है, हम में से हर एक
की सम्पत्ति है, यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है। वे
लोग जो बिना टिकट रेलवे में यात्रा करते हैं
या रेलवे के माल की चोरी करते हैं, या रेलवे
के माल को हिसा द्वारा नष्ट करते हैं, या अग्नि
मैट करते हैं, उनके अन्दर आज तक यह भावना
पैदा नहीं हुई कि यह हमारा अपना नुकसान
है, करों के द्वारा हमारे खून पसीने की जो
कमाई है उसके द्वारा यह सम्पत्ति बनती है
इस सम्पत्ति की क्षति की पूर्ति हमें फिर से

करों का बोझ उठाकर करनी पड़ती है। आज उनमें हमें यह भावना पैदा करने की जरूरत है। जो लोग सरकार की किसी नीति, किसी कार्यक्रम या सरकार की किन्हीं असफलताओं के संबंध में किसी न किसी प्रकार का आन्दोलन करना चाहते हैं तो उस आन्दोलन का एक रूप हो सकता है, उन सभाएं हो सकती हैं और जेल जाना हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करना, यह किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के ये लोग बड़े गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसे तत्वों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनकी निन्दा होनी चाहिए। आज सारे देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण हमें पैदा करने की जरूरत है। आज मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से भी और बाकी दलों के नेताओं की ओर से भी राष्ट्र के अन्दर इस प्रकार का वातावरण पैदा करने के लिए एक अभियान की जरूरत है जिससे लोगों के दिलों में यह बात बैठ सके कि रेलवे की सम्पत्ति नष्ट करना या राष्ट्र की सम्पत्ति नष्ट करना, हमारी अपनी सम्पत्ति को नष्ट करना है और उसकी क्षति पूर्ति हमारे ही द्वारा होगी।

आज मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे रेलवे मंत्री महोदय ने यह कहा था कि अकेले भाषा के प्रश्न पर जो आन्दोलन हुआ उसमें 25 लाख रुपये की रेलवे की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। लेकिन आन्दोलन तो अनेकों प्रकार के देश के अन्दर चलते रहते हैं। हमारे रेलवे मंत्री महोदय ने उन की तरफ अपने भाषण में इशारा किया है और उन के भाषण का जो अन्तिम पैराग्राफ है उस के अन्दर उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि किसी भी प्रकार का आन्दोलन क्यों न हो उस में रेलवे सम्पत्ति को उस का शिकार बनाया जाता है उसके प्रति एक हिंसात्मक

रवैया अपनाया जाता है उस को चलाने की कार्यवाही होती है चाहे किसी भी प्रकार का आन्दोलन क्यों न हो, भाषा संबंधी आन्दोलन हो, किसी प्रदेश के अन्दर कोई स्टील प्लांट लगाना चाह, बांध कायम करने का कोई प्रश्न हो या श्रम संबंधी आपस का झगड़ा हो या कोई राशनिंग का प्रश्न हो यहां तक कि स्कूल फीस के मामले में भी अगर विद्यार्थी अपने हृदय के उद्गार निकालना चाहते हैं तो उन के द्वारा भी रेलवे की सम्पत्ति को नष्ट करने की बात आती है। हमारी भाषा में यह कहावत है कि जब कुम्हार का कुम्हारी के ऊपर वश नहीं चलता तो वह जाकर गधी का कान ऐंठता है, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जब प्रान्तीय सरकारों के ऊपर या केन्द्रीय सरकार के ऊपर रोष होता है और जब लोग समझते हैं कि उनका वह रोष कारगर साबित नहीं होता तो वह जाकर रेलवे सम्पत्ति को अपने क्रोध का निशाना बनाते हैं। मैंने इस विवाद को इसलिए खड़ा किया है कि आज यह उत्तरदायित्व, यह जिम्मेदारी पूरे तौर पर प्रान्तीय सरकारों के ऊपर हो और उन को इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करनी होगी। यह एक वैधानिक प्रीविलिजेशन, एक कांस्टीट्यूशनल प्रीविलिजेशन आज उन के ऊपर है क्यों कि जो कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है यह विषय प्रान्तीय सरकारों के विषय है। मैं समझता हूँ कि प्रान्तीय सरकार भी यह वहीं चाहेंगी कि केन्द्रीय सरकार इस मामले को अपने हाथ में ले ले। इस व्यवस्था को वह पसन्द नहीं करेंगी। इस कारण आज उन को अपने इस उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। जब केन्द्र नहीं कर सकता है और वह करेंगे नहीं तो उस राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा कौन करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रीविलिजेशन को, इस कर्तव्य को उन्हें निभाना चाहिए। जो सरकारें इस के अन्दर विफल रही हैं मैं समझता हूँ कि उन को क्षतिपूर्ति करनी होगी उन को इस बात का मुआवजा देना होगा।

[श्री श्रीचन्द गोयल]

आज की जो कानून की व्यवस्था है और इस संबंध में दो तीन प्रकार के कानून हैं। रेलवे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट और उसी प्रकार से एक दो कानून हैं लेकिन किसी के अन्दर आज इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि जो लोग रेलवे की सम्पत्ति को नष्ट करने की धमकी देते हैं उन के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्यवाही की जा सके, उन के खिलाफ फायरआर्म्स का इस्तेमाल किया जा सके या और कोई कड़ी कार्यवाही उन के खिलाफ की जा सके। इस प्रकार की कोई व्यवस्था आज हमें अपने कानून के अन्दर दिखाई नहीं देती है। इसलिए मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें कानून के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी यह रेलवे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट के अन्दर संशोधन करने की जरूरत है ताकि और जो रेलवे के कर्मचारी हैं या और जो इस फोर्स के मेम्बर्स हैं वह जरूरत पड़ने पर फायरआर्म्स का इस्तेमाल करके रेलवे की सम्पत्ति को जो हानि पहुंचाने का प्रयत्न होता है उस का बचाव किया जा सके।

रेलवेज की सम्पत्ति को नुकसान करने से छिपना नुकसान होता है। रेलवेज की सम्पत्ति को नष्ट करने से जो रुपये का नुकसान होता है वह तो है ही उस के साथ साथ दूसरे प्रकार का भी नुकसान है उस की क्षतिपूर्ति करने में रेलवे विभाग को अनेकों प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। तीसरी जो इससे सब से बड़ी हानि होती है वह यह कि रेलवेज की साधारण जो कार्यवाही है रेलवे की जो फंक्शनिंग है वह अपसैट हो जाती है। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं अनेको प्रकार के लोग जिन्हें मित्र भिन्न कामों से ड्यूटी के सिलसिले में दूसरे दूसरे स्टेशनों आदि पर पहुंचना होता है वह नहीं पहुंच पाते और इस कारण वह सारा काम का सिलसिला दरहम बरहम हो जाता है

और बहुत अधिक हानि उस कारण होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है जब हम इस के लिए गम्भीरतापूर्वक सोच कर कोई माकूल हल निकालें।

मैं इस सिलसिले में दो तीन सुझाव रेलवे मंत्री महोदय को और सरकार को देना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव यह है कि जो रेलवे पुलिस फोर्स का एक्ट है उस के अन्दर वाजिब संशोधन किया जाय ताकि जो रेलवे फोर्स के लोग हैं उन को इस बात का अधिकार हो कि रेलवे की सम्पत्ति को नष्ट करने की जहां धमकी या कार्यवाही दिखाई देती है उस को रोकने के लिए वह लोग फायरआर्म्स का इस्तेमाल कर सकें। इस के लिए मैं समझता हूँ कि आज शायद इस किस्म का कोई नया लेजिस्लेशन भी हमें लाने की जरूरत पड़े कि जहां पर रेलवे की सम्पत्ति को वाएलेंस के द्वारा, हिंसा के द्वारा नष्ट करने का प्रयत्न होता है उस का हम बचाव कर सकें।

दूसरे मैं यह चाहता हूँ कि उस इलाके के ऊपर एक प्युनिटिव फ़ाइन इम्पोज करने की उस में व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एफ़ैक्टिव इलाकों के लोग यह समझें कि अगर हम ने रेलवे की जायदाद की रक्षा नहीं की और वह रेलवेज की जायदाद अगर नष्ट हो गयी तो उस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आने वाली है। इस लिए इस तरह के एक प्युनिटिव फ़ाइन का प्राविजन भी करना मैं समझता हूँ कि आज के हालात में आवश्यक हो गया है।

इस के साथ साथ मैं यह भी उचित समझता हूँ कि चूंकि प्रान्तीय सरकारों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी आती है कि वह इस की रक्षा करें तो जहां वह उस की रक्षा नहीं कर पाई है उन्हें वहां की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए उनसे वहां के लिए मुआविजा लिया जाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस सिलसिले में सारे देश के अन्दर एक प्रचार का अभियान लेकर लोगों के दिमाग में यह चीज बैठानी होगी कि यह रेलवे की सम्पत्ति उन की अपनी सम्पत्ति है और यदि उस को वह नष्ट करते हैं तो ऐसा करके वह खुद अपनी हानि करते हैं। वह जो उन के द्वारा हानि होती है उस की पूर्ति करने की भी जिम्मेदारी उन के ऊपर होती है। इस तरह का प्रचार देश में व्यापक पैमाने पर करने की बड़ी जरूरत है। मैं पूछना चाहूँगा कि इस सिलसिले में और कौन कौन से कदम उन के विचाराधीन हैं ताकि इस गम्भीर मसले को हल करने के लिए उचित और कारगर पग उठाये जा सकें ?

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने कहा मैं भी यह समझता हूँ कि सरकार की सम्पत्ति चाहे वह केन्द्रीय सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करना यह एक अनपेक्षित एक्शन है और मैं तो यह कह सकता हूँ कि यह ऐंटी नेशनल एक्शन है। जो भी सरकारी सम्पत्ति है वह हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उस राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करना देश के ऊपर एक बड़ी भारी चोट करती है। मेरी समझ में इस समस्या को दो तरीके से हल करना होगा। एक तो इसे पोलिटिकल लेन के ऊपर हल करना होगा। अभाव्यवश आज हमारे देश के अन्दर कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि इस को बुरा नहीं समझते हैं कि देश में हिंसा हो, वाएलेंस हो या ऐनार्की हो। इस चीज को उन के दिलों में मिटाने के लिए मैं समझता हूँ कि सरकार को एक पोलिटिकल लेन पर इन्फ्लिक्टिव लेना चाहिए। उसके लिए वह जितनी रेकग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टी हैं उनकी वह कॉफ़ेंस बुलायें और वहाँ पर उनको यह कहें कि जो पोलिटिकल पार्टी यह समझती है कि सिंहा नहीं होनी चाहिए तोड़ फोड़ नहीं

होनी चाहिए वह सब इसके लिए मिल कर एक घोषणा करें सब मिल कर अपील करें कि यह हिंसा का वातावरण और भावना लोग त्याग दें बाकी जो तत्व इस में विश्वास नहीं करते उनको फिर सिगिल आउट कर देना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि इस प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं ? मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सरकार को जल्द पहल करनी चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अभी तक जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसको कोई पावर्स नहीं हैं। किसी को वह शूट नहीं कर सकते। कहीं पर वाएलेंस हो रहा हो तो वह उसे मिटाने के लिए और बन्द करने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कानून इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि जो रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा पावर्स हासिल हों। जैसे कि बाकी जगहों पर ला एंड आर्डर कायम रखने के लिए पुलिस को पावर्स हासिल हैं वैसे ही पावर्स रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स को भी दी जायें।

साथ ही सरकार द्वारा एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि जिस प्रान्तीय सरकार के अन्दर इस प्रकार की रेलवेज की सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है, सम्पत्ति नष्ट होती है वह क्षति वहाँ की प्रान्तीय सरकार पूरी करे। अब उसमें चाहे मेरी पार्टी की सरकार आती हो डी० एम० के० की सरकार आती हो या कांग्रेस की सरकार आती हो इस बात का बगैर खयाल किये हुए सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाना चाहिए कि जिस प्रदेश में सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचे उसको क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी उस प्रदेश की सरकार पर हो। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल प्लेन पर इसको मनवाना चाहिए, पोलिटिकल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में विभिन्न पार्टियों और विचारधाराओं की

[श्री कंबरलाल गुप्ता:]

सरकारें हैं और उनके अलग अलग तरीके काम करने और समस्याओं को देखने के हैं इसलिये हो सकता है कि वह महज ऐसा एक होम मिनिस्ट्री के सरकुलर होने के बाद उस से कोम्पारेट न करें। और जितनी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए उतनी न करें तब यह जरूरी हो जाता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पर होनी चाहिए। इस प्रकार का विधेयक सरकार को जल्दी से जल्दी लाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रिएक्शन है यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री शिकरे (पंजिम) : उपाध्यक्ष महोदय पिछले कई दिनों में यह देखा गया है कि कुछ सुप्रवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों में एक लड़ाई सी चल रही है। पिछले दिनों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्रगडकर ने बम्बई में एक मोर्चा लगाया था। उस मोर्चे में मांग की गई थी कि देश में जो सार्वजनिक सम्पत्ति है उस का जो नुकसान होता है उस पर पाबन्दी लगाई जाय। जब उन्होंने बम्बई में यह मोर्चा लगाया तो उसके बारे में अखबारों में आया और ऐसा समझा गया कि बम्बई में इसका प्रचार होगा तो इसका एफेक्ट अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि एक सप्ताह के बाद 16 फरवरी को मलाद का जो स्टेशन है वहां पर लोड़ फोड़ हुई। वहां तीन डब्बे जलाये गये। यहां पर भी हमने दुष्प्रवृत्ति और सुप्रवृत्ति की लड़ाई का एक नमूना देखा।

वह जो मोड़ तोड़ हो रही है उस के बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया और कहा कि कुछ पाटियां ऐसा तोड़ फोड़ का काम करती हैं और अगर वे पाटियां इस की जिम्मेदारी ले सकेंगी तो इस स्थिति में सुधार हो सकेगा। मैं इस विचार का आदमी हूँ कि हमेशा ही पाटियां। ऐसे काम नहीं करती हैं। सिर्फ

जो गुंडे रहते हैं वह ऐसे काम करते हैं। मलाद में जो घटना हुई थी वह बड़ी सिम्पल सी थी। वहां एक गाड़ी 10 बजे आती है। उस में नौ डब्बे रहते हैं। लेकिन उस दिन उस गाड़ी में कुल छः डब्बे आये और नौ डब्बों की जो गाड़ी थी वह कैसल हो गई। जब वह गाड़ी कैसल हो गई और छः डब्बों की गाड़ी आई तो लोगों ने प्रद न किया। वह जो प्रदर्शन करने वाले थे मैं समझता हूँ उन्होंने उस के लिये कोई खास तैयारी नहीं की थी उन डब्बों को जलाने की। पांच मिनट में ऐसा हुआ कि वहां दो हजार लोग आये। कहां से आये यह मालूम नहीं, लेकिन उन दो हजार लोगों ने तीन डब्बों को जला दिया।

इसलिये मैं कहूंगा कि जो रोल सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गडकर और ऐसे स्तर के लोगों ने भ्रदा किया, और किस ने नहीं किया वे अभिनन्दनीय हैं। उन्होंने कह दिया कि जो गवर्नमेंट का माल भता है वह सार्वजनिक माल भत्ता है उस की तोड़ फोड़ जो होती है उस का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जो देश की सुप्रवृत्ति है इटेलिजेंसिया है जो निष्पक्ष लोग हैं जिन का पालिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं वह लोग अगर इस के लिये प्रयत्न करें तभी सार्वजनिक माल भत्ते की रक्षा हो सकेगी।

श्री रवि राव (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल सम्पत्ति का नुकसान करने की जो प्रवृत्ति है वह सर्वथा निन्दनीय है। सवाल यह है कि जिस ढंग से रेलवे मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भिन्न भिन्न भाषा आन्दोलनों के कारण दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में तोड़ फोड़ हुई क्या यह ठीक है? सवाल यह है कि क्या उन की ओर से इस की रक्षा के लिये उचित कदम नहीं उठाये गये।

अभी हमारे मित्र ने मलाद स्टेशन के बारे में बतलाया कि वहां पर सुप्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति की विषमता छी। मेरे पास इस सम्बन्ध में जो जानकारी है उस को मैं आप के जरिये से सदन के सामने रखना चाहता हूं। श्री मृणाल गोरे जो कि बम्बई नगर पालिका के सदस्य हैं वहां गये और श्री जार्ज फरनेन्डीज वहां गये यह देखने के लिये कि मलाद स्टेशन में क्या हुआ है। वह जो रेलवे के डिबीजनल सुपरिन्टेंडेंट हैं उन की रक्षा करने के लिये गये थे। वहां पर जो लोग थे उन्होंने डब्बों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। श्री मृणाल गोरे ने जा कर उन को समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में लोगों में घीड़ की मनोवृत्ति आ जाती है। शायद वहां के लोगों ने कुछ समय से मांग की थी कि जो बोगियां पहले जला दी गई थीं उन को सरकार फिर लगा दे ताकि वहां के लोगों को तकलीफ न पहुंचे। हम को लगता है कि जो वहां के कर्मचारी विद्यार्थी और साधारण यात्री हैं घाट या दस हजार व सारे के सारे वहां इकट्ठ हो गये थे और उन्होंने रेल के डिब्बों को जला दिया।

माननीय मंत्री चाहे जिस तरह का बिल लायें लेकिन वहां जो इस तरह की बात हुई उस में जो उनका दोष है उस को भी मानना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात की ओर उनका ध्यान गया है कि राज्य सरकार की पुलिस और रेलवे के जो अधिकारी हैं उन की जिम्मेदारी है। जो रेलें चलती हैं उस की जिम्मेदारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भी है। जब दोनों विभाग जिम्मेदारी से काम करेंगे तभी जो कानून लागू किया जायेगा वह ठीक चल सकेगा।

दूसरी बात यह है कि आप जल्दी में कोई काम मत कीजिये। आप से लोग बहुत दिनों से गोलमेज बैठक करने की मांग

कर रहे हैं आज भी की गई आज आप उस को मान रहे हैं लेकिन पहले नहीं माना। पहले मंत्री महोदय को निश्चय करना चाहिये कि जो कानून बनाया जायेगा उस की प्रतिक्रिया क्या होगी। सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिस से लोगों के मन पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो। मुझ करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है उस की पृष्ठभूमि में मैं पूछना चाहता हूं कि वह इस सवाल के ऊपर विचार करने के लिये तैयार हैं या नहीं?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have received a few slips. If the procedure we have laid down is not followed. It would be difficult because time will have to be extended and that is also not possible. Today I have received two slips from the DMK. I will permit one of them; let them choose between themselves. Shri S. Kundu has just appeared on the scene and got an inspiration and sent me a slip. So is Shri D. S. Patil This is not permissible under the rules. This time I allow them to put a question each. Next time I will not.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah): Are you departing from the normal procedure and allowing them to make speeches and not put questions only?

MR. DEPUTY SPEAKER: Questions only. We have laid down that before 10.30 A.M. they must send in their slips. Then a ballot is held. Today they have sent slips in the afternoon. All the same today I am giving them a chance.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): As you know very well, the DMK party is against firings as well as destruction of property. We are much pained to see that railway property is destroyed during any agitation, whether inside Madras State or outside it. In fact, our Chief Minister has condemned it in unequivocal terms. To put in in his own words:

Rail pettikalukku vaikkum neruppu Yen nenjukku vaikkum neruppahum.

[Shri G. Viswanathan.]

He has requested students to desist from such attempts and they have obeyed also. To quote one instance, when students were inside the Madras Central station, our Public Works Minister, Shri Karunanidhi, went there in person and requested them not to indulge in violence or destruction of property. He was able to convince them immediately and avoid incidents. In such a way, the Madras Government did control the mob.

At the same time, I want to point out that this phenomenon of destruction of railway property is the Central Government's own reaction.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The discussion has been raised with a view to get some reply from the Government—

SHRI G. VISWANATHAN: I want to get a reply from the Minister. Nobody puts a question in this House without a preface. I am following the convention.

An impression has been created in India that the Central Government is not amenable to reason, and that the Central Congress Government understands only the language of violence.

AN HON. MEMBER: No.

SHRI G. VISWANATHAN: That is the position. This is the sort of democracy you have created in these 20 years. It is the creation of this Government which has caused destruction of property.

A fantastic suggestion was made by some people that the State should bear the loss of the railways.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You put your question. You are not supposed to counter that.

SHRI G. VISWANATHAN: I would like to suggest to the Minister that those people are not in control fully in any State, and I would like the

Minister to assure the House that those suggestions will be rejected outright.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kundu.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): If you call others, how can we finish by six.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is unfair. We are having a half-hour discussion that is given notice of with some object in view. If there is no quorum, we can adjourn, otherwise as far as possible, you have got to be very patient.

SHRI S. KUNDU (Balasore): I thank you for being very generous in allowing me. It is surprising that the Deputy Minister, Shri Siddheshwar Prasad wants to go home. He has not done any office work, he has been sitting here.

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD: Is this your question?

SHRI S. KUNDU: When these incidents of burning of national property like railways or posts and telegraph offices come to our notice, it touches our soul very much. We condemn such violence, such orgy. So far the young in our country have not realised that this property belongs to the nation. This is not the property of Mr. Poonacha or Mrs. Indira Gandhi. This we have not been able to teach them during 20 years of congress rule.

In this railways, a public undertaking of Rs. 800 crores, I do not think there is a feeling of participation with it by the people in the sense that this undertaking belongs to the people. I would like to know from the Railway Minister what exactly he is going to do to make the people feel that this

undertaking belongs to them and they have a sense of participation.

I do not want that another police forces should be organised and more money should be spent on police to protect the railways. It should be the primary responsibility of the State Government to protect railway properly, and Mr. Ponnacha must tell all the State Governments that this is their primary responsibility. I would like to know specifically what he has in mind on these two points.

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : भाषा सम्बन्धी आन्दोलन के दौरान रेलवे को जो हानि हुई है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट प्रापर्टी को हानि अधिक नहीं हुई है सेंटर की जो प्रापर्टी थी उसको ही अधिक हानि हुई है और उसका कारण जहां तक मैं समझा हूं यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने ज्यादा बड़ी कार्रवाई इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए नहीं की है। यह जो रेलवे की हानि हुई है उसकी भरपाई करने के लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट्स से भी कुछ परसेंटेज उसका लिया जाएगा ?

मैं यह भी जानना हूं कि यह जो ला एंड आर्डर का मामला स्टेट गवर्नमेंट्स के जिम्मे है इस मामले को केवल उन्हीं तक सीमित न रख कर क्या सेंटर इसके बारे में कुछ करने का विचार रखता है, इस में कुछ परिवर्तन करना चाहता है या नहीं ? क्या इस पर भी आपका ध्यान है या नहीं ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have listened with great care to the speeches made by several Members, and I fully agree with the sentiments expressed by the Members during this half-an-hour debate over the question for which I have furnished answers on the 13th of this month. The specific points that have been raised are two: what measures were adopted to avoid the loss and whether help was sought

3232 (A) LS—10.

from the State Governments to supply adequate police force. These are the two specific points which my friend Shri Goel sought to raise during this half-an-hour discussion arising out of my answers given to question No. 4 on the 13th of this month. As these specific questions relate to the language agitation, I would like to confine myself to those questions only.

The first trouble which started—

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): You are also agitated over this language. (Interruption).

MR. DEPUTY-SPEAKER: He did not participate in the burning!

SHRI C. M. POONACHA: I am no doubt agitated and exercised very much over the things that have happened on account of this language agitation. The first sign of agitation against the language policy, as enunciated by this House, was in Uttar Pradesh. When reports reached me on that day, the Chief Minister of Uttar Pradesh was here. I met him and had long discussions and he promised to do everything so far as his State was concerned. I must say before this House that the Uttar Pradesh Government did do their best. Later on, things spread to Andhra. In Andhra, the State Government officers, particularly the Inspector-General of Police and our Chief Security Officer and the railway officers, held a meeting on the 6th January. They held discussions and sent out suitable instructions to all the units all over the State including the district authorities, and that is the action taken so far as the railway is concerned, to alert the State authorities to the impending dangers that might arise out of this agitation over the language issue in Andhra Pradesh.

On the 20th December, some trouble started in Madurai, and immediately, the General Manager, Southern Rail-

[Shri C. M. Poonacha]

way, wrote a letter to the Chief Secretary, Madras State, explaining to him the difficulties that the railways had been experiencing and sought the assistance of the State Government. Subsequently, the Chief Security Officer, Southern Railway, contacted the Inspector-General of Police and explained to him the various problems that were confronting by the railways in maintaining their service regularly and the case was put before them and their assistance was sought.

So, these are the few steps which we took in connection with the impending or threatened agitations, we have approached the State Governments at the appropriate time and at the appropriate level and brought home the facts and placed the matter before them for taking necessary action.

18 hrs.

The point was made that there should be sufficient powers vested in the Railway Ministry to meet certain situations. As hon. members know, the Railway Protection Force Act passed by this House does not confer the police powers on the RPF. In fact, that force is a watch and ward organisation with certain limited powers to deal with certain situations. But normally the responsibility of maintaining law and order rests with the respective State Government. We can only approach the State authorities in this regard to seek their help and that help has been extended to us on all occasions. No doubt if you look at the figures, it might appear that in some areas the loss might have been heavy and in some other areas less. All the same, the fact is there is a growing tendency in the country to the effect that whatever may be the reason, if an expression has got to be made, it should be by attacking railways or Central Government property.

SRI VASUDEVAN NAIR (Peer-made): State transport buses also.

SHRI C. M. POONACHA: Whatever may be the reason, a section of the people seem to think that by resorting to incendiarism or acts of vandalism, a thing could be brought home to the Government more effectively than by adopting a constitutional method.

SHRI VASUDEVAN NAIR: The people think these vehicles carry the message of the Congress Government.

SHRI C. M. POONACHA: If that is so, this mentality will have to be set right. This is what I want to explain. If anyone thinks that these railways are Congress railways, that mistaken notion will have to be corrected, whether by taking necessary powers or by building up public opinion. We should certainly do both. We should build up public opinion in this regard. We are all good-intentioned people and we come and work hard in the interests of the country. Therefore, it should be possible at our level, at the level of Members of Parliament, to build up public opinion in this regard and dissuade people and the unsocial elements from taking recourse to vandalism.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Are you prepared to call a conference of Members of Parliament?

SRI C. M. POONACHA: In this context, The suggestion made by Shri Gupta is worthy of consideration. We are already thinking of summoning a conference of all political leaders to discuss this most important question which is agitating our minds.

The point was raised whether we could make the State Governments responsible for making good the losses.

SHRI S. KANDAPPAN: That is a very dangerous idea.

SHRI C. M. POONACHA: I have looked into the matter in detail. The Railway Act of 1890 does not provide for such action. The Railway Protection Force Act does not provide any powers to the railways or to the Central Government to demand compensation from the respective State Government. There was once an ordinance passed known as the Collective Fines Ordinance of 1942. That also will not be useful under the present circumstances. Punjab has passed an Act known as the Punjab Security of the State Act of 1953. We have examined that. That also does not give any specific powers in this regard. That is a matter to be further examined as to whether we should provide for such a contingency.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We want to know your opinion about it.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): Brig a legislation and we will support it.

SHRI C. M. POONACHA: Therefore, this matter is under our active consideration and examination.

श्री रवि राय : राज्य सरकारों से कुछ कर लेजिस्लेशन लायें ।

श्री रणवीर सिंह : स्टेट गवर्नमेंट्स इस देश की नेशनल प्रॉपर्टी को क्यों बर्बाद करें ?

श्री रवि राय : यह फेडरेशन है ।

SHRI C. M. POONACHA: This point also would be a subject matter which we would like to discuss at the conference that has been suggested by my hon. friend.

SHRI S. KANDAPPAN: Asking for compensation from the States presupposes that the State is a party to the destruction. Can he affirm on the floor of this House that any State

is a party to this destruction (Interruptions.)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a question of complexion of the Government. The question was posed by Shri Patil. He asked who is ultimately responsible for the protection of the property of the Union Government in the several States. The hon. Minister is replying to that.

श्री कंबर लाल गुप्त : कुछ पार्टियां कहती हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बेवकूफी करे, तो लालेसन्स करना हमारा अधिकार हो जाता है । हम इस को पसन्द नहीं करते हैं । हमारे लिए सरकारी बिल्डिंग गुप्तद्वारे और मन्दिर के बराबर है । हम उस को तबाही डालने नहीं कर सकते हैं । (व्यवधान) :

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order. Please resume your seat. This is not a debate. The hon. Minister is replying to the discussion [Interruption.] Nothing except the Minister's reply need be recorded now.

SHRI S. KUNDU: **

श्री रवि राय : **

श्री रणवीर सिंह : **

श्री श्रींकार लाल बेरवा (कोटा) :
उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The point of quorum has been raised. I will have to adjourn the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): Sir, you may concede or you may not concede, but one thing I

[Shri I. K. Gujaral]

would like to point out. In these half-an-hour discussions we have always been observing a code among ourselves that we shall not raise the question of quorum. We are quite willing to play the game if the hon. Members opposite do not co-operate.

SHRI C. M. POONACHA: Sir, I have said what I wanted to say.

18.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 22, 1968/Phulguna 3 1890 (Saka).